



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2003 ई०

बैशाख 05, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 1059/लो0नि0-1/2003-96 (अधि0)/02

देहरादून, 25 अप्रैल, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0-14

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता
(विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003

भाग एक-सामान्य

1. (एक) यह नियमावली उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम
- (दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह “ख” के पद समाविष्ट हैं। सेवा की प्राप्ति

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

- (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;
- (ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
- (ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
- (घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;
- (च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
- (ज) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा से है;
- (झ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
- (ञ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मारा की अवधि से है।

भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु

(एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

- (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
- (दो) (i) 45 प्रति पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में; जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;
- (ii) 5 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में; जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जो नियम 8 की शैक्षिक अर्हता रखते हों-पदोन्नति द्वारा, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इस कोटे के पद नियम 5 दो (i) उल्लिखित स्रोत से भरे जा सकते हैं।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार—अर्हताएँ

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :- राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारत का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त में रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :- शैक्षिक अर्हताएं

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि;

या

विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की 'क' व 'ख' की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :- अधिमान अर्हताएं

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेटकोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेन्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां "विज्ञापित" की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : आयु

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लें। चरित्र

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक
प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक
स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का
अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की
प्रक्रिया

15. (i) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।
- (ii) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।
- (iii) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।
- (iv) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा
भर्ती की प्रक्रिया

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त चयन
सूची

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो, एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. (i) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा। नियुक्ति

(ii) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(iii) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी कि यथास्थिति चयन में आधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नति किया जाये। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

19. (i) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा

(ii) इस दो वर्ष की अवधि में सीधी भर्ती के सभी सहायक अभियन्ताओं को कालागढ़ प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(iv) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवार्य समाप्त की जा सकती है।

(v) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (iv) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवार्य समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(vi) परीक्षा अवधि में एक माह की नोटिस पर अथवा एक माह का वेतन देने पर सेवार्य समाप्त की जा सकती है।

(vii) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20. (i) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि— स्थायीकरण

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये;

(घ) कालागढ़ प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो;

(ङ) सरकार उसको स्थायी करने को उपयुक्त समझती हो।

(ii) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 (यथा उत्तरांचल में लागू) के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है यहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश जारी करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

- ज्येष्ठता 21. पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात-वेतन इत्यादि

- वेतनमान 22. (i) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।
- (ii) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार दिये गये हैं—
1. सहायक अभियन्ता विद्युत और यांत्रिक (8000-275-13500)
- परिवीक्षा अवधि 23. (i) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो :
- परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।
- (ii) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :
- परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।
- (iii) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ-अन्य उपबन्ध

- पद समर्थन 24. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- सेवा की शर्तों में शिथिलता 26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :
- परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श लिया जायेगा।
- व्यावृत्ति 27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखें]

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
01.	सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक)	19

आज्ञा से,
एन० रवि शंकर,
सचिव।

No. 1059/PWD-1/2003-95(establishment)/02
Dated Dehradun, April 25, 2003

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the "Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Public Works Department Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) Service.

THE UTTARANCHAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT ASSISTANT ENGINEER
(ELECTRICAL AND MECHANICAL BRANCH) SERVICE RULES, 2003

PART I--GENERAL

1. (i) These rules may be called the Uttaranchal Public Works Department Assistant Engineer (Electrical and Mechanical Branch) Service Rules, 2003. Short title
- (ii) They shall come into force at once.
2. Uttaranchal Public Works Department Assistant Engineer (Electrical and Mechanical Branch) is a State Service comprising Group "B" post. The Status of Service
3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :- Definitions
 - (a) "Appointing Authority" means the Governor;
 - (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
 - (c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
 - (d) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
 - (e) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
 - (f) "Member of Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;
 - (g) "Service" means Uttaranchal Public Works Department Assistant Engineer (Electrical and Mechanical Branch) Service;
 - (h) "Constitution" means the Constitution of India;
 - (i) "Substantive Appointment" means an appointment on a post in the cadre of the service and which is not an adhoc appointment and is made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

- (j) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of Calendar year.

PART II--CADRE

Cadre of
Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix :
- Provided that,
- (i) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.
- (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

PART III--RECRUITMENT

Source of
Recruitment

5. Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources :-
- (1) 50 per cent by direct recruitment through the Commission.
- (2) (i) 45 per cent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical), who have completed seven years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment;
- (ii) 5 per cent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) in the ratio of their cadre strength who possess educational qualification as mentioned in Rule 8 and who have completed seven year's satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment, provided that if such suitable eligible persons possessing requisite qualifications are not available, the vacancies of this quota may be filled from the sources specified in clause 5(2)(i).

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV--QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :-
- (a) A citizen of India; or
- (b) A Tibetan refugee who came over to India before January 1, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence branch, Uttaranchal :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note--A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. A candidate for direct recruitment to the post must possess :-

Academic
Qualification

A Bachelor's degree in Electrical or Mechanical Engineering from a University established by law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto

Or

Must have passed sections 'A' and 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical or Mechanical Engineering.

9. A candidate who has--

Preferential
Qualification

(a) Served in the territorial army for a minimum period of two years; or

(b) Obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps,

will be given preference in the matter of recruitment, other things being equal.

10. A candidate for direct recruitment to the post must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised :

Age

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of year as may be specified.

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy himself on this point.

Character

Note--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. A male candidate who has more than one living wife or a female candidate who has married a man already having a living wife shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Marital Status

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists a specific ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. No person shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board :

Physical
Fitness

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year and as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other categories under rule 6 and shall give this information to the Commission.

Determination
of Vacancies

15. (i) The Commission shall call application for permission to appear in the competitive examination in the prescribed form published in the advertisement issued by the Commission.

Procedure
for Direct
Recruitment

(ii) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(iii) After the result of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the schedule caste, schedule tribes and others

under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The mark awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

- (iv) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be greater (but not greater by more than 25%) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Procedure for
Recruitment by
Promotion

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the State Government rules as amended from time to time.

Combined
Select List

17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion a combined select list shall be prepared by taking the name of candidate from the relevant list in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of person appointed by promotion.

PART VI--APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. (i) Subject to the provisions of Sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16 or 17 as the case may be.
- (ii) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointment shall not be made unless selection are made from both the sources and combined list is prepared in accordance with rule 17.
- (iii) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, maintaining the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order referred to in rule 17.

Probation

19. (i) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
- (ii) During these two years period, directly appointed assistant engineers shall have to undergo training in Kalagarh Training Institute.
- (iii) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that except in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances beyond two years.

- (iv) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any and if he does not hold a lien on any post his services be dispensed with.
- (v) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (iv) shall not be entitled to any compensation.
- (vi) Services can be terminated on one month's notice or one month's pay during the period of probation.

(vii) The appointing authority may allow continuous service rendered in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for purpose of computing the period of probation.

20. (1) Subject to the provision of Sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation or extended period of probation if--
- Confirmation
- (a) He has passed the prescribed departmental examination.
 - (b) His work and conduct is reported to be satisfactory.
 - (c) His integrity is certified.
 - (d) He has completed training from Kalagarh Training Institute.
 - (e) Government considers him suitable for confirmation.

Where in accordance with the provisions of Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, (as applicable in Uttaranchal) confirmation is not necessary, the order under Sub-rule (3) of rule (5) of those rules declaring that person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

21. The seniority of persons substantively appointed to the post shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.
- Seniority

PART VII--PAY

22. (i) The scales of pay admissible to persons appointing to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- Scale of Pay
- (ii) The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows :--
1. Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) Rs. (8000-275-13500)

23. (i) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and completed training :
- Probation Period

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (ii) The pay during probation of persons, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (iii) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government Servant generally, serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII--OTHER PROVISIONS

24. No recommendation, either written or oral other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
- Convassing

25. In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.
- Regulation of other matter

Relaxation
from the
Conditions
of Service

26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service cause undue hardship in any particular case, it may not withstanding any thing contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission that body shall be consulted before the rule is dispensed with or relaxed.

Saving

27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of perons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX

[See Rule 4(2)]

Sl. no.	Name of the post	Number of the sanctioned post
01.	Assistant Engineer (Electrical and Mechanical)	19

By Order,

N. RAVI SHANKER,
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 26 दिसम्बर, 2005 ई0

पौष 05, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 2803/III(1)/2005-95(अधि0)/2002

देहरादून, 26 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0-148

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा)
(प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2005

1. संक्षिप्त नाम-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2005 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियमावली का संशोधन-

उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली,

2003 (जिसे यहां मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रखा जायेगा :-

स्तम्भ-एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
<p>5. भर्ती का स्रोत- सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :- (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;</p>	<p>5. भर्ती का स्रोत- सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :- (एक) 40 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा;</p>
<p>(दो) (i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।</p>	<p>(दो) (i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।</p>
<p>(ii) 5 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जो नियम 8 की शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इस कोटे के पद नियम 5 दो (i) में उल्लिखित स्रोत से भरे जा सकते हैं।</p>	<p>(दो) (i) 5 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/संगणक में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।</p> <p>(दो) (ii) 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से, उनके अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की "क" व "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा।</p> <p>(दो) (ii-क) 1.67 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से उनके संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की "क" व "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा।</p>

आज्ञा से,

डा० एस० एस० संघू,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2803/III(1)/2005-95(Adhi)/2002, dated December 26, 2005 for general information:

No. 2803/III(1)/2005-95(Adhi)/2002
Dated Dehradun, December 26, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Uttaranchal Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Mechanical) Service Rules, 2003 :

THE UTTARANCHAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT ASSISTANT ENGINEER (ELECTRICAL AND MECHANICAL) (FIRST AMENDMENT) SERVICE RULES, 2005

1. Short title--

- These Rules may be called the Uttaranchal Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Mechanical) (First Amendment) Service Rules, 2005.
- It shall come into force at once.

2. Amendment of Principal Rules--

In the Uttaranchal Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Mechanical) (First Amendment) Service Rules, 2003 (Hereinafter referred to as Principal Rules) for the existing Rules 5 setout in Column-1, below the rules as setout in Column-2 shall be substituted, namely :--

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (Rules as hereby substituted)
5. Source of Recruitment-- Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources:-- (1) 50 percent by direct recruitment through the Commission.	5. Source of Recruitment-- Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources:-- (1) 40 percent by direct recruitment through the Commission.
(2) (i) 45 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) who have completed seven years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment.	(2) (i) 45 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical and Mechanical) in the ratio of their cadre strength who have completed seven years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment. (2) (i-a) 5 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers Technical/Computers in the ratio of their cadre strength who have completed seven year's satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment.
(ii) 5 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) in the ratio of their cadre strength who possess Educational Qualification as mentioned in Rule 8 and who have completed seven year's satisfactory Service, as such, on the first day of the year of	(2) (ii) 8.33 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical and Mechanical) in the ratio of their cadre strength who have completed five years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who possess a Bachelor's degree in Electrical or Mechanical

recruitment, provided that if such suitable eligible persons possessing requisite qualifications are not available, the vacancies of this quota may be filled from the sources specified in clause 5(2) (i).

Engineering from a University established by law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto or must have passed Sections 'A' and 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical or Mechanical Engineering.

(2) (ii-a) 1.67 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers Technical/Computers in the ratio of their cadre strength who have completed five year's satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who possess a Bachelor's degree in Electrical or Mechanical Engineering from a University established by law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto or must have passed Sections 'A' and 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical or Mechanical Engineering.

By Order,

Dr. S.S. SANDHU,
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014 ई०

अग्रहायण 07, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 2070/III(1)/14-95(अधि०)/2002

देहरादून, 28 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-०४

राज्यपाल भारत का "संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 में अग्रोत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा)
(संशोधन) सेवा नियमावली, 2014**

संक्षिप्त नाम-

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) (संशोधन), सेवा नियमावली, 2014 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रखा जायेगा:-

स्तम्भ-एक
वर्तमान नियम

स्तम्भ-दो
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

भर्ती का स्रोत

सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(एक) 40 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा:-

(दो) (i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा;

(दो) (i-क) 5 प्रतिशत पद कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा;

भर्ती का स्रोत

सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(एक) 40 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) (एक) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहां अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई हो, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

(दो) (एक-क) 5 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहां अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हो, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

(दो) (ii) 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से उनके अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की "क" व "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा।

(दो) (दो) 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जो नियम-8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा;

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहां अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हो, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

(बि) (वि-क) 1.07 प्रतिशत पर मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से उनके संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जिन्होंने भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यंत्रिक अभियान्त्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अथवा विद्युत या यंत्रिक अभियान्त्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की "क" व "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा।

(दो) (वि-क) 1.07 प्रतिशत पर मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जो नियम-8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा;

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहां अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हो, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2070/III(1)/14-95(Establishment)/2002, Dehradun, dated November 28, 2014 for general information:

No. 2070/III(1)/14-95(Establishment)/2002
Dated Dehradun, November 28, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Electrical/Mechanical Branch) Service Rules, 2003

THE UTTARAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT ASSISTANT ENGINEERS (ELECTRICAL/MECHANICAL BRANCH) (AMENDMENT) SERVICE RULES, 2014

Short Title and Commencement—

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Electrical/Mechanical Branch) (Amendment) Service Rules, 2014

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 5-

In the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Electrical/Mechanical Branch) Rules, 2003, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule- 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted.

COLUMN-1
Existing rule

Source of Recruitment

Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources.

1. 40 percent by direct recruitment through the Commission

2. (i) 45 percent by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Electrical and Mechanical), in the ratio of their cadre strength who have completed seven year's satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment.

2. (i-a) 5 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Technical and Computer) in the ratio of their cadre strength who have completed Seven years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment,

(2) (ii) 8.33 percent by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Electrical and Mechanical) in the ratio of their cadre strength who have completed five year of satisfactory service as such, on the first day of the year of recruitment and who passes a Bachelor's Degree in Electrical and Mechanical

COLUMN-2
Rules as here by substituted

Source of Recruitment

Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources.

1. 40 percent post by direct recruitment made from Public Service Commission

2. (i) 45 percent post by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineer (Electrical and Mechanical) and Additional Assistant Engineer (Electrical and Mechanical), who have completed seven year service on the first day of the year of recruitment.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of Junior engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, The same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

2. (i) 5 percent post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Technical and Computer) and Additional Assistant Engineer (Technical and Computer), who have completed seven year service on the first day of the year of recruitment.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of Junior engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, The same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

(2) (ii) 8.33 percent post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Electrical and Mechanical) and Additional Assistant Engineer (Electrical and Mechanical), who have completed five years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who passes Educational qualification as mentioned in Rule-8.

Engineering from a University Established by Law in India or a Degree recognized by the Government as equivalent there to or must have passed section 'A' and 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical and Mechanical Engineering.

(2) (ii-a) 1.67 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Technical/Computers) in the ratio of their cadre strength who have completed five year's satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who possess a Bachelor's degree in Electrical or Mechanical Engineering from a University established by law in India or a degree recognized the Government as equivalent there to or must have passed Section 'A' and 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical or Mechanical Engineering.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of junior engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, The same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

(2) (ii-a) 1.67 percent post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Technical and Computer) and Additional Assistant Engineer (Technical and Computer), who have completed five years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who passes Educational qualification as mentioned in Rule-8.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of junior engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, The same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.